



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.अन्सार 2. असलम पुत्रगण कल्लू निवासी मोहल्ला पहलवान बाड़ा थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन में मु०अ०सं० 388/17 (वाद संख्या - 78/17) धारा 452/354ए/323/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 01.02.2024 को मा० स्पे० जज पॉस्को कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा 01अभियुक्त अंसार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 11,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2017 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 06 वर्ष 04 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुरंजर



कोर्ट पैरोकार जावेद

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice